

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-107 के तहत

वाद सं०-एम० 50/2022

राजकिशोर कुम्हार

बनाम

भरत कुम्हार वगैरह

दिधि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
1	2	3


25-04-2022

प्रस्तुत वाद में धारा-107 द० प्र० सं० के थाना प्रभारी बुण्डू के अप्राथमिकी संख्या- 21/22 दिनांक 20/03/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भूमि विवाद का कारण है।

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द० प्र० सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 50,000/- (पचास हजार) रू० मात्र का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अगिलेख तिथि 28-05-2022 को उपस्थापित करें।


अनुमण्डल दण्डाधिकारी

बुण्डू।

आदेश की क्रमांक/दिनांक Order No./Date	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Magistrate	आदेश Order
<u>26-12-2022</u>	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष दिनांक 09-01-2023 को गवाही रखें। कार्य दंडा. बुडू।	
<u>09-01-2023</u>	द्वितीय पक्ष गवाही एतवा उरौक के साथ हाजरी। विद्वान अदिवक्तागण न्यायिक कार्यों से दूर (हड़ताल पर)। दिनांक 30-01-2023 को रखें। हो-	
<u>30-01-2023</u>	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से गवाही एतवा उरौक हाजरी। दिनांक 06-02-2023 को रखें। कार्य दंडा. बुडू।	
<u>06-02-2023</u>	अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष उपस्थित। साथ ही द० प्र० सं० की धारा-116(06) के अनुसार धारा-107 की कालबाधि दरः (06) माह की होती है। इस वाद में भी वैधानिक समग्र सीमा दरः (06) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है, अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है। उभय पक्ष के विद्वाने अदिवक्ता द्वारा दोनों पक्षों में उठाते बने रहने तथा संबंधित थाना द्वारा भी निर्धारित लिखित कें में कोई प्रतिकूल टिप्पणी अप्राप्त रहने की दशा में वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। इस संबंध में संबंधित को सूचित करें। कार्य दंडा. बुडू।	